



राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 05(03)गृह-1/2023 (12994) पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा (दूरसंचार) के पुलिस अधीक्षक की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2014-15

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प0 डी-41/आरपीएस/कार्मिक/क-1/गो0प्र0/98 दिनांक 09.08.2016 द्वारा श्री दिनेश कुमार माथुर की वर्ष 2011-12 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि को विलोपित किये जाने एवं मा0 न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1183/2024 में परिनिन्दा के दण्ड को इग्नोर करने के निर्देशों की पालना स्वरूप श्री दिनेश कुमार माथुर को राजस्थान पुलिस सेवा (दूरसंचार) के पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया जाता है। श्री माथुर की वरिष्ठता श्री मोहन लाल शर्मा (8) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2015-16

श्री दिनेश कुमार माथुर को वर्ष 2014-15 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2015-16 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आनन्दी लाल वैष्णव)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री महोदय, गृह
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस